

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा-माध्य / संस्था / एफ-1ए / 12128 / डीपीसी / 2020

दिनांक:-
06.07.2020

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, संभाग, मुख्यालय

विषय:- विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंखाओं में चयन तिथि अंकन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- शासन का पत्रांक प.17(40)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक 19/06/2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 19/06/2020 की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नति से चयनित कार्मिकों की चयन तिथि के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04/06/2008 के बिन्दु संख्या-18.4.2 के निम्नानुसार प्रावधान है:- "18.4.2-पदोन्नति आदेश में चयन का वर्ष, रिवित का दिनांक, काडर का नाम वेतन श्रृंखला के साथ-साथ चयन की प्रकृति (अर्थात् वरिष्ठता-सह-योग्यता अथवा योग्यता, जैसी भी स्थिति हो) अंकित किया जाए।" पदोन्नति पर चयन पश्चात् नियमितिकरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा आदेश दिनांक 30/07/13 तथा 23/02/2015 जारी किये हुए हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग व वित्त विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्रों तथा समय-समय पर इनके सम्बन्ध में जारी परिपत्रों एवं शासन के सन्दर्भित पत्र अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक को सन्दर्भित पत्र दिनांक 19/06/2020 की प्रति की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग व वित्त विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्रों तथा समय-समय पर इनके सम्बन्ध में जारी परिपत्रों एवं शासन के सन्दर्भित पत्र अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें।।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 17(40) शिक्षा-2/2019

जयपुर, दिनांक : 19-6-2020

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : विभाग द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों की सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंखाओं में चयन तिथि अंकन के सम्बन्ध में राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद(रिसा) राजस्थान व अन्य की मांगों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक शिविरा/मा/संस्था/बी-गा/चयन तिथि/2019 दिनांक 04.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि पदोन्नति से चयनित कार्मिकों की चयन तिथि के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या-18.4.2 में निम्नानुसार प्रावधान हैं:-“18.4.2-पदोन्नति आदेश में चयन का वर्ष, रिक्ति का दिनांक, काडर का नाम वेतन श्रृंखला के साथ-साथ चयन की प्रकृति (अर्थात वरिष्ठता-सह-योग्यता अथवा योग्यता, जैसी भी स्थिति हो) अंकित किए जाए।” पदोन्नति पर चयन पश्चात् नियमितिकरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा आदेश दिनांक 30.07.2013 तथा 23.02.2015 जारी किये हुये हैं।

अतः कार्मिक विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा जारी उक्त परिपत्रों तथा समय-समय पर इनके सम्बन्ध में जारी परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही करने का श्रम करावें।

www.rajteachers.com

भवदीय
19/6/2020
(राजेश वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव